प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

एकलपीठः माननीय न्यायमूर्ति श्री राधे श्याम शर्मा

दांडिक अपील क्रमांक 526 वर्ष 2004

नरसिंगराम

विरूद्ध

छत्तीसगढ़ राज्य

निर्णय

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

दिनांक 25-09-2012 को निर्णय हेतु सूचीबद्ध करें।

हस्ताक्षरित/-

आर. एस. शर्मा

न्यायमूर्ति

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

एकलपीठः माननीय न्यायमूर्ति श्री राधे श्याम शर्मा

दांडिक अपील क्रमांक 526 वर्ष 2004

अपीलार्थी

नरसिंगराम,
आत्मज रतनलाल साहू,
आयु लगभग 23 वर्ष,
निवासी ग्राम मड़ेली,
पुलिस चौकी भखारा,
पुलिस थाना कुरूद,
जिला धमतरी (छत्तीसगढ़)

विरूद्ध

प्रत्यर्थी

छत्तीसगढ़ राज्य

उपस्थित- श्री पुष्कर सिन्हा, अपीलार्थी की ओर से अधिवक्ता।

श्री राजेंद्र त्रिपाठी, राज्य/प्रत्यर्थी की ओर से पैनल अधिवक्ता।

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 374(2) के तहत दांडिक अपील

निर्णय

(दिनांक 25 सितंबर, 2012 को सुनाया गया)

यह अपील अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धमतरी द्वारा सत्र प्रकरण क्रमांक 298/2003 में पारित निर्णय दिनांक 10-06-2004 के विरुद्ध प्रस्तुत है। आक्षेपित निर्णय के माध्यम से, अभियुक्त/अपीलार्थी नरसिंगराम को दोषसिद्ध किया गया है और निम्नलिखित रीति से दंडादिष्ट किया गया है, साथ ही सभी दंडादेशों को साथ-साथ चलाने का निर्देश दिया गया है:-

दोषसिद्धि	दंडादेश
भा.दं.सं. की धारा 452 के तहत	2 वर्ष का सश्रम कारावास और 1,000/- रुपये का अर्थदंड, अर्थदंड के व्यतिक्रम करने की दशा में, 3 माह का साधारण कारावास।
भा.दं.सं. की धारा 376 के तहत	7 वर्ष का सश्रम कारावास और 5,000/- रुपये का अर्थदंड, अर्थदंड के व्यतिक्रम की दशा में, 1 वर्ष का साधारण कारावास।
भा.दं.सं. की धारा 506-बी के तहत	2 वर्ष का सश्रम कारावास और 1,000/- रुपये का अर्थदंड, अर्थदंड के व्यतिक्रम की दशा में, 2 माह का साधारण कारावास।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

2. अभियोजन पक्ष का मामला संक्षेप में निम्नानुसार है:

दिनांक 1-7-2003 को दोपहर लगभग 1:00 बजे, अभियोक्त्री (अ.सा.-1) (भा.दं.सं. की धारा 228क के आलोक में, अभियोक्त्री के नाम का उल्लेख नहीं किया जा रहा है) अपने घर में अकेली थी। अपीलार्थी नरसिंगराम ने अभियोक्त्री (अ.सा.-1) के घर में प्रवेश किया और चाकू दिखाकर उसे जान से मारने की धमकी दी। चाकू की नोक पर, अपीलार्थी ने अभियोक्त्री (अ.सा.-1) के साथ संभोग किया और उसे धमकी दी कि यदि उसने इस घटना के बारे में किसी को बताया, तो वह उसे मार डालेगा। अभियोक्त्री (अ.सा.-1) ने इस घटना की जानकारी अपने पति प्रभुराम (अ.सा.-2) को दी। प्रभुराम (अ.सा.-2) अपीलार्थी के घर गया, घटना के बारे में पूछा और उसे चेतावनी दी कि वह दोबारा उसके घर न आए। तत्पश्चात, प्रभुराम (अ.सा.-2) रायपुर चला गया। शनिवार को रात्रि लगभग 1:00 बजे, अपीलार्थी पुनः अभियोक्त्री (अ.सा.-1) के घर में घुसा और उसके साथ संभोग किया। अपीलार्थी ने उसे धमकी दी कि यदि उसने अपने पति को इस घटना के बारे में बताया, तो वह उसे मार डालेगा। अभियोक्त्री (अ.सा.-1) ने पुलिस चौकी भखारा में अपीलार्थी के विरुद्ध लिखित शिकायत (प्रदर्श पी-5) दर्ज कराई, जिसके आधार पर पुलिस चौकी भखारा में प्रथम सूचना प्रतिवेदन (प्रदर्श पी-6) दर्ज की गई।

अन्वेषण के दौरान, सहायक उप-निरीक्षक एन.पी. चंद्राकर (अ.सा.-4) द्वारा घटना स्थल का नक्शा (प्रदर्श पी-1) तैयार किया गया। एक अन्य घटना स्थल का नक्शा (प्रदर्श पी-17) पटवारी केजूराम ध्रुव (अ.सा.-5) द्वारा तैयार किया गया था। अभियोक्त्री (अ.सा.-1) का पेटीकोट प्रदर्श पी-2 के माध्यम से जब्त किया गया। अपीलार्थी को प्रदर्श पी-15 के माध्यम से गिरफ्तार किया गया और उसकी निशानदेही पर, प्रदर्श पी-3 के माध्यम से एक चाकू जब्त किया गया। अपीलार्थी का अंतर्वस्त्र भी प्रदर्श पी-4 के माध्यम से जब्त किया गया। अभियोक्त्री (अ.सा.-1) को चिकित्सीय परीक्षण हेतु प्रदर्श पी-10 के माध्यम से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, गुजरा, जिला धमतरी भेजा गया। डॉ. वंदना व्यास (अ.सा.-9) ने अभियोक्त्री (अ.सा.-1) का परीक्षण किया और अपना परीक्षण प्रतिवेदन (प्रदर्श पी-10ए) दी। अपीलार्थी को चिकित्सीय परीक्षण हेतु प्रदर्श पी-13 के माध्यम से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, गुजरा, जिला धमतरी भी भेजा गया। डॉ. एच.सी. गोढेजा (अ.सा.-7) ने अपीलार्थी का परीक्षण किया और अपना परीक्षण प्रतिवेदन (प्रदर्श पी-17) प्रस्तुत किया। जब्तशुदा पेटीकोट, अभियोक्त्री (अ.सा.-1) के योनि स्वाब की स्लाइड और अपीलार्थी के अंतर्वस्त्र को रासायनिक परीक्षण के लिए न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला, रायपुर भेजा गया। वहां से परीक्षण प्रतिवेदन (प्रदर्श पी-20) प्राप्त हुआ।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

अन्वेषण की समाप्ति के पश्चात, अपीलार्थी के विरुद्ध मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, धमतरी के न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया, जिन्होंने मामले को सत्र न्यायालय, रायपुर को उपार्पित कर दिया, जहाँ से अंतरण पर यह मामला अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धमतरी को प्राप्त हुआ, जिन्होंने विचारण संपन्न किया और अपीलार्थी को उपरोक्त अनुसार दोषसिद्ध एवं दंडादिष्ट किया।

3. अपीलार्थी को दोषी ठहराने के लिए, अभियोजन पक्ष ने अभियोक्त्री (अ.सा.-1), प्रभुराम (अ.सा.-2 - अभियोक्त्री के पति), रोहित कुमार साहू (अ.सा.-3), सहायक उप-निरीक्षक एन.पी. चंद्राकर (अ.सा.-4), पटवारी केजूराम ध्रुव (अ.सा.-5), नारायण गिरी (अ.सा.-6), डॉ. एच.सी. गोढेजा (अ.सा.-7), केवराबाई (अ.सा.-8) और डॉ. वंदना व्यास (अ.सा.-9) का परीक्षण किया। अपीलार्थी ने अपने बचाव में किसी भी साक्षी का परीक्षण नहीं कराया।

4. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री पुष्कर सिन्हा ने तर्क दिया कि लिखित शिकायत (प्रदर्श पी-5) और प्रथम सूचना प्रतिवेदन (प्रदर्श पी-6) विलंब से दर्ज कराई गई थी। उन्होंने आगे तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 452, 376 और 506-बी के तहत दंडनीय अपराधों के लिए दोषसिद्ध करने में घोर त्रुटि की है। उन्होंने आगे यह तर्क दिया है कि अभियोजन पक्ष का मामला अत्यधिक असंभाव्य है। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि किसी विवाहित महिला के साथ जबरन संभोग करना किसी के लिए भी असंभव है। अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों के सूक्ष्म परिशीलन से, अभियोक्त्री के एक सहमति देने वाले पक्ष होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। अतः, अपीलार्थी की दोषसिद्धि स्थिर रखने योग्य नहीं है और अपीलार्थी दोषमुक्त किए जाने का पात्र है।

5. दूसरी ओर, राज्य/प्रत्यर्थी की ओर से विद्वान पैनल अधिवक्ता श्री राजेंद्र त्रिपाठी ने आक्षेपित निर्णय का समर्थन करते हुए निवेदन किया कि विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा अधिरोपित दोषसिद्धि और दंडादेश में इस न्यायालय द्वारा किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

WebCopy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

6. पक्षकारों के परस्पर विरोधी तर्कों को सुनने के पश्चात, मैंने सत्र परीक्षण क्रमांक 298/2003 के अभिलेख का अत्यंत सावधानीपूर्वक अवलोकन किया है। अपीलार्थी की दोषसिद्धि अभियोक्त्री (अ.सा.-1) और प्रभुराम (अ.सा.-2 - अभियोक्त्री के पति) के साक्ष्य पर आधारित है।

7. मैं सर्वप्रथम लिखित शिकायत (प्रदर्श पी-5) और प्रथम सूचना प्रतिवेदन (प्रदर्श पी-6) दर्ज करने में हुए विलंब के प्रश्न पर विचार करूँगा।

8. अभियोक्त्री (अ.सा.-1) ने कथन किया कि उसने पुलिस चौकी भखारा में लिखित शिकायत (प्रदर्श पी-5) दर्ज कराई थी। प्रभुराम (अ.सा.-2) ने भी कथन किया कि उसकी पत्नी ने पुलिस चौकी में लिखित शिकायत (प्रदर्श पी-5) दर्ज कराई थी। सहायक उप-निरीक्षक एन.पी. चंद्राकर (अ.सा.-4) ने कथन किया कि वह पुलिस चौकी भखारा में सहायक उप-निरीक्षक के पद पर पदस्थ थे। उन्होंने आगे कथन किया कि अभियोक्त्री (अ.सा.-1) ने लिखित शिकायत (प्रदर्श

पी-5) दी थी, जिसके आधार पर उन्होंने प्रथम सूचना प्रतिवेदन (प्रदर्श पी-6) दर्ज की। घटना की तिथि और समय दिनांक 1-7-2003, दोपहर लगभग 1:00 बजे है, और लिखित शिकायत (प्रदर्श पी-5) पुलिस चौकी भखारा में दिनांक 7-7-2003 को दर्ज कराई गई थी तथा प्रथम सूचना प्रतिवेदन (प्रदर्श पी-6) भी दिनांक 7-7-2003 को ही लिपिबद्ध की गई थी। पुलिस चौकी और घटनास्थल के बीच की दूरी 17 किलोमीटर है। अभियोक्त्री (अ.सा.-1) ने कथन किया कि उसका पति जीविकोपार्जन के लिए रायपुर गया हुआ था। जब उसका पति रविवार की सुबह वापस आया, तब उसने अपने पति को घटना के बारे में बताया और उसके पश्चात, अभियोक्त्री (अ.सा.-1) ने पुलिस चौकी भखारा में लिखित शिकायत (प्रदर्श पी-5) दर्ज कराई। सहायक उप-निरीक्षक एन.पी. चंद्राकर (अ.सा.-4) ने कथन किया कि लिखित शिकायत (प्रदर्श पी-5) के आधार पर, उन्होंने भारतीय दंड संहिता की धारा 452, 376 और 506-बी के तहत अपराधों के लिए प्रथम सूचना प्रतिवेदन (प्रदर्श पी-6) दर्ज की। लिखित शिकायत (प्रदर्श पी-5) और प्रथम सूचना प्रतिवेदन (प्रदर्श पी-6) दर्ज करने में हुए विलंब का कारण इस प्रकार उल्लेखित है "पति घर में नहीं होने बाहर होने के कारण" । अभियोक्त्री (अ.सा.-1) ने कथन किया कि उसका पति ग्राम में उपस्थित नहीं था। जब उसका पति रविवार की सुबह घर लौटा, तो उसने उसे घटना का वृत्तांत सुनाया। उसने आगे कथन किया कि उसका पति प्रत्येक रविवार और गुरुवार को घर लौटा करता था। उसने आगे कथन किया कि गुरुवार को, दोपहर लगभग 2:00 बजे, अपीलार्थी उसके घर आया था। उस समय, वह अपने बच्चों के साथ सो रही थी। अपीलार्थी ने उसका मुँह दबा दिया। अपीलार्थी के हाथ में एक चाकू था, उसने उसे जान से मारने की धमकी दी और उसकी इच्छा के विरुद्ध उसके साथ संभोग किया। उसने आगे कथन किया कि उसका पति रविवार को अपने घर लौटा और उसने उसे घटना के बारे में बताया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

9. अभियोक्त्री (अ.सा.-1) के साक्ष्य को देखने से यह प्रतीत होता है कि अपीलार्थी ने अभियोक्त्री (अ.सा.-1) के घर में प्रवेश किया और दूसरी घटना से पूर्व, अर्थात दिनांक 1-7-2003 को उसके साथ संभोग किया था। प्रथम घटना के संबंध में अभियोक्त्री (अ.सा.-1) द्वारा कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई गई थी।

10. अभियोक्त्री (अ.सा.-1) ने साक्ष्य दिया कि उसकी *जेठानी* उसके कमरे से सटे हुए

कमरे में रह रही थी। उसने आगे कथन किया कि उसने गांव में किसी को भी घटना का वृत्तांत नहीं सुनाया।

11. प्रभुराम (अ.सा.-2) ने कथन किया कि अपीलार्थी ने उसकी पत्नी के साथ संभोग किया था, जिसके लिए उसने पुलिस थाने में कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई थी। उसने आगे साक्ष्य दिया कि प्रथम घटना के पश्चात वह रायपुर चला गया था और जब वह मंगलवार को वापस लौटा, तो अभियोक्त्री (अ.सा.-1) ने उसे बाद की घटना के बारे में बताया। उसने आगे साक्ष्य दिया कि वह सप्ताह में तीन बार, अर्थात रविवार, मंगलवार और बुधवार को अपने घर लौटता था। उसने आगे यह स्वीकार किया कि यह सत्य है कि प्रथम घटना के लिए पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई गई थी।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

12. अभियोक्त्री (अ.सा.-1) और प्रभुराम (अ.सा.-2) के साक्ष्य के परिशीलन से यह प्रतीत होता है कि अभियोक्त्री (अ.सा.-1) ने अपने पति को रविवार को प्रथम घटना के बारे में बताया था, किंतु अभियोक्त्री (अ.सा.-1) द्वारा अपीलार्थी के विरुद्ध प्रथम घटना हेतु कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई गई थी। दूसरी घटना दिनांक 1-7-2003 को हुई और लिखित शिकायत (प्रदर्श पी-5) पुलिस चौकी भखारा में दिनांक 7-7-2003 को की गई, अर्थात घटना के 6 दिन पश्चात। लिखित शिकायत दर्ज करने में हुए विलंब का उचित स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है, जो अभियोजन पक्ष के मामले के लिए घातक है।

13. अभियोक्त्री (अ.सा.-1) ने कथन किया कि उसका पति प्रभुराम (अ.सा.-2) जीविकोपार्जन के लिए रायपुर जाया करता था और प्रत्येक रविवार, मंगलवार और गुरुवार को घर लौटता था। गुरुवार को दोपहर लगभग 2:00 बजे, अपीलार्थी उसके घर में घुसा। उस समय वह अपने बच्चों के साथ सो रही थी। अपीलार्थी के हाथ में एक चाकू था, उसने उसे जान से मारने की धमकी दी, उसे फर्श पर पटक दिया और उसकी इच्छा के विरुद्ध उसके साथ संभोग किया। उसने आगे कथन किया कि जब उसका पति घर लौटा, तो उसने उसे घटना का वृत्तांत सुनाया। उसने आगे यह भी बताया कि उसका पति अपीलार्थी के घर गया था और उसके विरुद्ध शिकायत की थी। उसने आगे कथन किया कि शनिवार को रात्रि लगभग 1:00 बजे, जब वह

अपने बच्चों के साथ सो रही थी, तब अपीलार्थी उसके घर में घुसा और उसे फर्श पर पटक दिया तथा उसकी इच्छा के विरुद्ध उसके साथ संभोग किया। उसने आगे कथन किया कि उसका पति रविवार की सुबह घर लौटा और उसने उसे घटना के बारे में बताया। प्रभुराम (अ.सा.-2) ने भी इसी प्रकार साक्ष्य दिया।

14. यह विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि बिना किसी अन्य संपुष्टि के मात्र अभियोक्त्री के एकल साक्ष्य को दोषसिद्धि का आधार बनाया जा सकता है। अब, मैं इस बात का परीक्षण करूँगा कि क्या अभियोक्त्री (अ.सा.-1) का साक्ष्य ठोस, विश्वसनीय है और क्या इसे दोषसिद्धि का आधार बनाया जा सकता है।

15. **मोहम्मद इमरान खान विरुद्ध राज्य (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार), 2012 क्रि. लॉ ज. 693 (एस.सी.)** में माननीय उच्चतम न्यायालय ने निम्नानुसार अवलोकन किया:

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

> <u>**"अभियोक्त्री का साक्ष्य:**</u>
>
> **15.** यह एक सुस्थापित विधि है कि एक महिला, जो यौन हमले की शिकार है, वह अपराध में सह-अपराधी नहीं है, बल्कि दूसरे व्यक्ति की वासना की शिकार है। अभियोक्त्री का स्थान एक आहत साक्षी से भी ऊँचा है क्योंकि वह भावनात्मक क्षति झेलती है। इसलिए, उसके साक्ष्य का परीक्षण संदेह की उसी समान मात्रा के साथ करने की आवश्यकता नहीं है जैसा कि एक सह-अपराधी के मामले में किया जाता है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (इसके बाद 'साक्ष्य अधि.' कहा गया है), कहीं भी यह नहीं कहता है कि उसका साक्ष्य तब तक स्वीकार नहीं किया जा सकता जब तक कि तात्विक विवरणों में उसकी संपुष्टि न हो जाए। वह निस्संदेह साक्ष्य अधि. की धारा 118 के तहत एक सक्षम साक्षी है और उसके साक्ष्य को वही महत्व मिलना चाहिए जो शारीरिक हिंसा के मामलों में एक आहत व्यक्ति को दिया जाता है। उसके साक्ष्य के मूल्यांकन में उतनी ही सावधानी और सतर्कता बरतनी चाहिए जितनी कि एक आहत शिकायतकर्ता या साक्षी के मामले में, उससे

अधिक नहीं। यदि न्यायालय इसे ध्यान में रखता है और संतुष्ट महसूस करता है कि वह अभियोक्त्री के साक्ष्य पर कार्रवाई कर सकता है, तो साक्ष्य अधि. में धारा 114 के दृष्टांत (ख) के समान विधि या व्यवहार का ऐसा कोई नियम शामिल नहीं है जिसके लिए संपुष्टि की आवश्यकता हो। यदि किसी कारणवश न्यायालय अभियोक्त्री के साक्ष्य पर पूर्ण विश्वास करने में संकोच करता है, तो वह ऐसे साक्ष्य की तलाश कर सकता है जो उसकी साक्ष्य को आश्वासन प्रदान कर सके, जो कि सह-अपराधी के मामले में आवश्यक संपुष्टि से कम हो। यदि मामले के अभिलेख पर आने वाली परिस्थितियों की समग्रता यह प्रकट करती है कि अभियोक्त्री के पास आरोपी व्यक्ति को झूठा फंसाने का कोई प्रबल हेतुक नहीं है, तो न्यायालय को सामान्यतः उसका साक्ष्य स्वीकार करने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए। यौन उत्पीड़न से जुड़े मामलों पर विचार करते समय न्यायालय को अपनी जिम्मेदारी और संवेदनशीलता के प्रति सचेत रहना चाहिए। बलात्कार केवल एक शारीरिक हमला नहीं है, बल्कि यह अक्सर पीड़िता के पूरे व्यक्तित्व को विचलित कर देता है। बलात्कारी असहाय महिला की आत्मा को अपमानित करता है और इसलिए, अभियोक्त्री की साक्ष्य का मूल्यांकन पूरे मामले की पृष्ठभूमि में किया जाना चाहिए और ऐसे मामलों में, अन्य साक्षियों का परीक्षण न किया जाना भी अभियोजन के मामले में कोई गंभीर दोष नहीं हो सकता है, विशेष रूप से वहां जहां साक्षियों ने अपराध होते हुए न देखा हो।

(संदर्भः महाराष्ट्र राज्य विरुद्ध चंद्रप्रकाश केवलचंद जैन, एआईआर 1990 एससी 658: (1990 क्रिमिनल एलजे 889); उत्तर प्रदेश राज्य विरुद्ध पप्पू उर्फ युनुस एवं अन्य, एआईआर 2005 एससी 1248: (2004 एआईआर एससीडब्ल्यू 6563); और विजय उर्फ चीनी विरुद्ध मध्य प्रदेश राज्य, (2010) 8 एससीसी 191):(एआईआर 2011 एससी (क्रिमिनल) 940: 2010 एआईआर एससीडब्ल्यू 5510)।

इस प्रकार, इस बिंदु पर जो विधि उभर कर आती है वह यह है कि अभियोक्त्री का कथन, यदि विश्वसनीय और भरोसेमंद पाया जाता है, तो

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उसे किसी संपुष्टि की आवश्यकता नहीं है। न्यायालय अभियोक्त्री के एकल साक्ष्य पर अभियुक्त को दोषसिद्ध कर सकता है।"

16. अभियोक्त्री (अ.सा.-1) ने कथन किया कि यह सत्य है कि वह नहीं जानती थी कि उसके पति ने अपीलार्थी से क्या पूछा था। उसने आगे कथन किया कि यह सत्य है कि उसकी *जेठानी* उसके कमरे से सटे हुए कमरे में रह रही थी। उसने आगे कथन किया कि उसने अपनी जेठानी को घटना का वृत्तांत नहीं सुनाया। उसने आगे कथन किया कि अपीलार्थी ने दूसरी बार उसके साथ संभोग किया। उसने अपीलार्थी द्वारा किए गए संभोग के संबंध में अपनी *जेठानी* और ग्रामीणों को घटना नहीं बताई। उसने आगे कथन किया कि जब उसका पति स्पष्टीकरण के लिए अपीलार्थी के घर गया, तो अपीलार्थी ने उसे गाली दी, उसे धमकी दी और उसके साथ मारपीट की। उसके बाद, उसने अपीलार्थी के विरुद्ध शिकायत दर्ज कराई। उसने आगे कथन किया कि यदि अपीलार्थी ने उसके पति को गाली न दी होती, तो वह अपीलार्थी के विरुद्ध शिकायत दर्ज नहीं कराती।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

17. अभियोक्त्री (अ.सा.-1) ने प्रतिपरीक्षण के कंडिका 8 में कथन किया है कि अपीलार्थी उसके घर के सामने के दरवाजे से नहीं घुसा था। उसने आगे कथन किया कि अपीलार्थी अक्सर बाड़ी की तरफ से उसके घर में प्रवेश करता था। उसने आगे कथन किया कि यह सत्य है कि जब अपीलार्थी ने उसके साथ संभोग किया, तब उसने शोर नहीं मचाया। उसने आगे कथन किया कि यह सत्य है कि प्रथम घटना के लिए, जब अपीलार्थी ने उसके साथ संभोग किया था, तब उसने अपीलार्थी के विरुद्ध कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई थी। उसने आगे कथन किया है कि अपीलार्थी ने उसके पति के साथ मारपीट किया था, इसलिए उसने अपीलार्थी के विरुद्ध शिकायत दर्ज कराई। यदि अपीलार्थी ने उसके पति को गाली न दिया होता, तो वह अपीलार्थी के विरुद्ध शिकायत दर्ज नहीं कराती। उसने आगे कथन किया कि यह सत्य है कि उसने अपीलार्थी से चाकू छीन ली थी और उसे अपने पास रख ली थी।

18. अभियोक्त्री (अ.सा.-1) के साक्ष्य को देखने से यह प्रतीत होता है कि अभियोक्त्री की *जेठानी*, अभियोक्त्री के कमरे से सटे हुए कमरे में ही रह रही थी। यदि अपीलार्थी ने

अभियोक्त्री (अ.सा.-1) के घर में प्रवेश कर उसकी सम्मति के बिना उसके साथ संभोग किया होता, तो वह अवश्य चिल्लाई होती और उसकी *जेठानी* वहां पहुँच गई होती। किंतु, उसने सुसंगत समय पर कोई शोर नहीं मचाई, जो उसके अस्वाभाविक आचरण को दर्शाता है।

19. अभियोक्त्री (अ.सा.-1) के अनुसार, वह अपने बच्चों के साथ सो रही थी। अपीलार्थी ने उसके घर में प्रवेश किया और उसके साथ संभोग किया। डॉ. वंदना व्यास (अ.सा.-9) ने कथन किया कि उन्होंने अभियोक्त्री (अ.सा.-1) का परीक्षण किया और अपनी परीक्षण प्रतिवेदन (प्रदर्श पी-10ए) दी, जिसमें अभियोक्त्री (अ.सा.-1) के शरीर पर कोई आंतरिक या बाहरी चोट नहीं पाई गई। यदि अपीलार्थी ने अभियोक्त्री (अ.सा.-1), जो कि एक विवाहित महिला है, के साथ संभोग किया होता, तो उसने स्वयं को बचाने का प्रयास अवश्य किया होता और ऐसी परिस्थितियों में, उसके शरीर पर कुछ चोटें आनी चाहिए थीं, किंतु उसके शरीर पर कोई चोट नहीं पाई गई। डॉ. एच.सी. गोढेजा (अ.सा.-7) ने अपीलार्थी का परीक्षण किया और अपना परीक्षण प्रतिवेदन (प्रदर्श पी-17) दिया। उन्होंने कथन किया कि अपीलार्थी के शरीर पर कोई आंतरिक या बाहरी चोट नहीं पाई गई। अतः, अभियोक्त्री (अ.सा.-1) का मात्र यह कथन कि अपीलार्थी द्वारा उसे धमकाया गया था जिसके कारण उसने शोर नहीं मचाया, यह मानने के लिए पर्याप्त नहीं है कि अपीलार्थी ने उसके साथ जबरन संभोग किया था।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

20. लिखित शिकायत (प्रदर्श पी-5) और प्रथम सूचना प्रतिवेदन (प्रदर्श पी-6) का विलंब से दर्ज होना, अभियोक्त्री (अ.सा.-1) का साक्ष्य और उसका अस्वाभाविक आचरण यह दर्शाते हैं कि अभियोक्त्री (अ.सा.-1) संभोग किए जाने में एक सहमत पक्षकार थी। अतः, अभियोक्त्री (अ.सा.-1) के साक्ष्य को अपीलार्थी की दोषसिद्धि का आधार नहीं बनाया जा सकता।

21. उपरोक्त विवेचना के आधार पर, मेरा यह मत है कि विद्वान विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 452, 376 और 506-बी के तहत दंडनीय अपराधों के लिए दोषसिद्ध और दंडादिष्ट करने में त्रुटि की है। अतः, दोषसिद्धि और दंडादेश का आक्षेपित निर्णय यथावत रखने योग्य नहीं है।

22. परिणामस्वरूप, अपील स्वीकार की जाती है और अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 452, 376 और 506-बी के तहत दी गई दोषसिद्धि और दंडादेश को अपास्त किया जाता है। उसे उसके विरुद्ध विरचित आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है। वह जमानत पर है। उसके जमानत बंधपत्र निरस्त किए जाते हैं और प्रतिभू उन्मोचित किए जाते हैं।

हस्ता./-

आर. एस. शर्मा

न्यायमूर्ति

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

Translated By ___Adv VARTIKA VERMA___